न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22/2020 (उदयपुर डिक्री)

गणेशलाल पिता श्री उदयलाल सूयल, जाति खटीक, निवासी 2/5, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हिरण मगरी, सेक्टर 14, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शंकर पिता स्वर्गीय श्री नगजी उर्फ नानजी, जाति मेघवाल, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्वर्गीय श्री रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. बाबूलाल पिता स्वर्गीय श्री रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय श्री रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रमेश उर्फ कन्नू पिता स्वर्गीय श्री रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. शंकर पिता स्वर्गीय श्री मावजी, जाति मीणा, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. भैरा पिता स्वर्गीय श्री मावजी, जाति मीणा, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. पांचा पिता स्वर्गीय श्री मावजी, जाति मीणा, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. चुन्नीलाल पिता स्वर्गीय श्री मावजी, जाति मीणा, निवासी पडूणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 17.10.2016, प्र.सं. 146/12

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मन्नाराम डांगी अभि. रे. सं. 1, 7, 8, 9
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 10

———::———

निर्णय दिनांक 23–07–2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 6 से 9 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पडूणा की आराजी नंबर 2290 मी. रकबा 2 बीघा जिसके हाल आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर होकर पूर्व में आराजी नंबर 7283 सरकार की भूमि पर वादीगण का कब्जा 30–35 वर्षो से चला आ रहा है तथा इसी भुजा के उत्तर में आराजी नंबर 7286 पर वादीगण का पुराना मकान बना हुआ है इसके बाद नेशनल हाइवे सड़क आती है। पश्चिम में बिलानाम सरकारी जमीन होकर वादीगण का 20–25 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उत्तर दिशा में पुराना चूने का भट्टा बिलानाम, सरकारी जमीन होकर वादीगण का 20–25 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा दक्षिण में आराजी नंबर 7284 बिलानाम भूमि पर हांजा पिता धन्ना मीणा के कब्जे में है।

उक्त चारों पड़ोसों के बीच स्थिति भूमि पर वादीगण का उसके पूर्वाधिकारियों के समय से दिनांक 24–11–1980 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि अर्थात आराजी नंबर 2290 में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी नगजी पिता वगता मेघवाल को दिनांक 09–12–1978 को एस.डी.ओ. गिर्वा द्वारा आवंटित की गयी थी। इसके बाद प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी नगजी ने अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 3 लालकी की शामलाती एवं सहमति से वादीगण के पिता मावजी पिता बदा मीणा को दिनांक 24–11–1980 को 7000/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से कब्जा वादीगण का चला आ रहा है, किन्तु सहवन से नगजी की मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 389 विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया, जबकि प्रतिवादीगण का दिनांक 24–11–1980 के बाद से कोई कब्जा नहीं है एवं वादीगण का ही चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से विक्रय करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई हक

व अधिकार नहीं है। अतः वाद वर्णित आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र के आधार पर कुल 7 तनकियात कायम की एवं प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होना मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 17–10–2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 3 गणेशलाल द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7, 8, 9 की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सूचना नहीं दी गयी थी एवं उनके अधिवक्ता ने भी इसकी सूचना नहीं दी, जिससे उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 30–01–2020 को पटवारी हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी हुई। तत्पश्चात नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः दिनांक 17–11–2016 से 23–02–2020 तक का समय कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मयाद स्वीकार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय की जानकारी अपीलान्ट के अधिवक्ता को थी। अपीलान्ट ने आवेदन में झूठे कथन अंकित किये हैं। अतः अपील मयाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया एवं अपील लिखित बहस से साथ न्यायिक नजीरें भी प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। हम अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रेकार्ड को देखे एवं गवाहों का बिना परीक्षण किये धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। साबिक आराजी नंबर 2290 रकबा 2 बीघा जिसके हाल आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर बने हैं, का आवंटन विधिवत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी नगजी उर्फ नानजी मेघवाल में पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया था। नगजी ने उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया, जिससे आवंटित भूमि उसके गैर खातेदारी में दर्ज हुई एवं उसका कब्जा होने एवं उसके द्वारा काश्त किये जाने से भूमि उसके खातेदारी में दर्ज हुई। नगजी की मृत्यु होने पर विरासत से उक्त आराजी उसके वारिसान रतना, शंकर एवं श्रीमती लालकी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हुई। तत्पश्चात रतना, शंकर एवं श्रीमती लालकी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21–09–2001 (पंजीयन दिनांक 26–03–2002) से अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 448 दिनांक 20–05–2004 भी कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के हक में खोला गया। पटवारी हल्का पडुणा ने भी अपने प्रमाण पत्र दिनांक 15–01–2005 में भी विवादित आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर पर कब्जा अपीलान्ट का होना एवं अपीलान्ट द्वारा काश्त किया जाना माना है। आज भी विवादित आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का ही चला आ रहा है। नगजी व उसके वारिसान अनुसूचित जाति के हैं तथा अपीलान्ट भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ऐसी स्थिति में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने लिखतम दिनांक 24–11–1980 को विक्रय माना जो गलत है। उक्त लिखतम में आराजी नंबर भी अंकित नहीं है, न ही वादग्रस्त आराजी के पड़ोस मिलते हैं, न ही ऐसा कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे 42

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो। तहसीलदार ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में कार्यालय में बैठकर रेस्पोन्डेन्ट से मिलकर गलत रिपोर्ट बनायी है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 6 तनकियां बनायी, किन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 ने अपने वाद के साथ कब्जे बाबत् ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा साबित होता हो, केवल तहसीलदार की एकतरफा मिलीभगत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। आराजी नंबर 7285 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगती हुई है तथा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का हिस्सा सड़क चौड़ा करने में अवाप्त हुआ है इसलिए अवाप्त शुदा आराजी का सम्पूर्ण परिलाभ अपीलान्ट को दिलाया जावे तथा शेष बची कृषि भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने बाबत आदेश फरमाया जावे। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा आराजी 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर भूमि जो अपीलान्ट के खाते में अंकित है, उसे अपीलान्ट के खाते से नहीं हटाने के आदेश दिये जावें एवं आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 में से अवाप्त शुदा भूमि के समस्त परिलाभ जो एक खातेदार को मिलने चाहिए, अपीलान्ट को दिये जावे तथा शेष बची भूमि पर रेस्पोन्डेन्टगण को अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 6 से 9 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि नगजी व उसकी पत्नी लालकी दोनों को आवंटित हुई एवं दिनांक 24–11–1980 को 7,000/– रूपये में उक्त भूमि का विक्रय वादीगण के पूर्वाधिकारी मावजी के पक्ष में बही में गवाहों के समक्ष लिख दिया। तब से निरन्तर मावजी व उनके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 का कब्जा चला आ रहा है, जो पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। जब दिनांक 24–11–1980 को नगजी व उसकी पत्नी लालकी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 के पूर्वाधिकारी मावजी के पक्ष में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तो दिनांक 26–03–2002 को अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय करने का उन्हें अथवा उनके वारिसान को कोई अधिकार ही नहीं था। मौके पर कब्जा आज भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 का ही चला आ

रहा है, जो तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 09–12–1978 को साबिक आराजी नंबर 2290 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन नगजी पिता वगता के पक्ष में किया गया है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 2290 मी. रकबा 2 बीघा से हाल आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर बनना स्पष्ट है। आवंटन पश्चात विवादित आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर नानजी पिता वगता के खातेदारी में दर्ज हुई है तथा आवंटित भूमि को विकसित किये जाने के आधार पर उसे खातेदारी अधिकारी दिये गये हैं। तत्पश्चात आवंटी का कब्जा होने के आधार विवादित आराजी आवंटी की खातेदारी में दर्ज हुई तथा आवंटी नानजी की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 389 दिनांक 05–09–2001 से रतना, शंकर पिता नानजी व मु0 लालकी बेवा नानजी के नाम स्वीकृत हुआ है। तत्पश्चात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–03–2002 से विवादित आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर रतना, शंकर पिता नानजी व मु0 लालकी बेवा नानजी द्वारा अपीलान्ट गणेश के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है तथा क्रेता अपीलान्ट गणेश के नाम विवादित आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर भूमि खातेदारी में दर्ज हो चुकी है, जो जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 से स्पष्ट है।

यहां यह स्पष्ट है कि विक्रेता रतना, शंकर पिता नानजी व मु0 लालकी बेवा नगजी एवं क्रेता अपीलान्ट गणेश दोनों ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। इसलिए धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 8 जो एक अनरजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 24–11–1980 का होकर उसमें किसी प्रकार के आराजी का भी अंकन नहीं है, उसको आधार मानते हुए विक्रेता को अनुसूचित जाति का तथा क्रेता वादीगण को अनुसूचित जनजाति का मानते हुए उक्त विक्रय पत्र को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध माना है एवं इस आधार पर प्रकरण में तहसीलदार को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया है जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि दिनांक 24–11–1980 के अनरजिस्टर्ड इकरारनामे

से अपीलान्ट के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–03–2002 से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विवादित आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है एवं अपीलान्ट व उसके विक्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–03–2002 धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बाधित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर उक्त नजीरें चस्पा नहीं होती हैं। वैसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 7 तनकियात कायम की हैं, किन्तु प्रकरण में तनकीवार विवेचन नहीं किया है, जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का विवेचन किये बिना मात्र अनरजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 24–11–1980 जिसमें किसी प्रकार के आराजी नंबरों का भी अंकन नहीं है, के आधार पर प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम होना मानते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2016 अपास्त की जाती है तथा ग्राम पडूणा की आराजी 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर भूमि जो अपीलान्ट के खाते में अंकित है, उसे अपीलान्ट के खाते से नहीं हटाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 में से अवाप्त शुदा भूमि के समस्त परिलाभ जो एक खातेदार को मिलने चाहिए, खातेदार अपीलान्ट को दिये जावे तथा शेष बची भूमि पर रेस्पोन्डेन्टगण को अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 23–07–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

गणेशलाल पिता उदयलाल सूयल, जाति खटीक, नि. 2/5, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हिरण मगरी, से. 14 उदयपुर	बनाम	**शंकर पिता स्व.नगजी उर्फ नानजी, जाति मेघवाल, निवासी पडूणा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**22/2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....17**.....माह.....**10**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**....माह.....**07**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**...श्री सुखराम डिडेल**...मिनजानिब अपीलान्ट व .....**....श्री मन्नाराम डांगी.....** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2016 अपास्त की जाती है तथा ग्राम पडूणा की आराजी 7285 रकबा 0.4600 हैक्टर भूमि जो अपीलान्ट के खाते में अंकित है, उसे अपीलान्ट के खाते से नहीं हटाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आराजी नंबर 7285 रकबा 0.4600 में से अवाप्त शुदा भूमि के समस्त परिलाभ जो एक खातेदार को मिलने चाहिए, खातेदार अपीलान्ट को दिये जावे तथा शेष बची भूमि पर रेस्पोन्डेन्टगण को अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**07**.....**2020** को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.08.07 15:14:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: